कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / गुण. एवं प्रशि.अनु. / गुण.प्र. / प्रवेशोत्सव / 22492 / 2022–23 दिनांक 03.05.2023

शासन उप सचिव (I)
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग
शासन सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– असर 2022 बच्चियों के स्कूल ड्रापआउट में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान' के संबंध में रिपोर्ट।

प्रसंगः– सतर्कता अनुभाग की अ.टि. क्रमांक–शिविरा / माध्य / सतर्कता / शासन समाचार कटिंग / फा–60 / 2022 दिनांक 25.04.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अ.टि मय संलग्नकों के क्रम में राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर **''असर 2022 रिपोर्टः बच्चियों के स्कूल ड्रापआउट में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान''** के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नानुसार हैं–

1. विद्यार्थियों का प्रवेश होना, क्रमोन्नत होना, ड्रॉपआउट होना यह एक नियमित प्रक्रिया है। विगत तीन शैक्षणिक सत्रों में (कोरोना काल होने के बावजूद) विद्यालयी शिक्षा के विद्यार्थियों के कुल नामांकन व बालिकाओं के नामांकन में अभिवृद्धि प्रेषणीय है। प्रतिवर्ष नामांकन वृद्धि की रिपोर्ट अग्रानुसार है: (शालादर्पण रिपोर्ट संलग्न)

सत्र	कुल नामांकन	बालिका नामांकन
2019-20	8099383	4217265
2020-21	8754597	4485378
2021-22	9568331	4841356

2. विगत तीन सत्रों में कुल ड्रापआउट तथा बालिकाओं के ड्रापआउट मे कमी प्रेषित हुई हैं।

सत्र	कुल ड्रापआउट	बालिका ड्रापआउट
2020-21	34299	16618
2021-22	33774	16425
2022-23	13208	6464

3. प्रतिवर्ष सत्रारम्भ से विद्यार्थी प्रवेश को विद्यालय में बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाता है। जिसके अन्तर्गत ऑउट ऑफ स्कूल विद्यार्थियों (ड्रॉपआउट तथा अनामांकित विद्यार्थियों) का डोर–टू–डोर सर्वे द्वारा चिन्हित किया जाता है।
4. राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के ड्रॉपआउट रेट को कम करने हेतु विभाग द्वारा ''कन्या प्रवेशोत्सव अभियान'' चलाया जा रहा हैं। जिसमें कन्या प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को प्रवेशोत्सव के साथ चलाये जाने हेतु स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को प्रवेशोत्सव के साथ–साथ कन्या प्रवेशोत्सव के लिये भी विशेष कार्यक्रम चलाए जाने के समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा हैं।
5. इन सभी चिन्हित विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित फॉलोअप किया जाता है। इस हेतु विभाग समय–समय पर (संलग्न– तिथि विस्तार आदेश) प्रवेश तिथि विस्तार भी किया जाता है।
6. अधिक ड्रॉपआउट वाले जिलों में तथा कम नामांकन वाले विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु विभाग की योजनानुरूप प्रवेश बढ़ाने तथा ड्रॉपआउट दर कम करने हेतु विभाग नियमित प्रयासरत है। सत्र 2018–19 से 2021–22 तक विद्यार्थियों के नामांकन व क्रमोन्नत विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, है।

7. विभाग द्वारा प्रदेश मे सभी विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने हेतु मिड डे मील, निःशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना, निशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्यपुस्तिका वितरण योजना, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, लैपटॉप वितरण योजना इंस्पायर अवार्ड, देवनारायण गुरुकुल योजना, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, राज्य स्तरीय गणित व विज्ञान प्रतिभा एवं राज्य स्तरीय कला व वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार के लिए कोविड काल मे स्माइल, स्माइल – 2.0 "आओ घर में सीखे" "ई–कक्षा" इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए तथा कोविड के पश्चात विद्यार्थियो के लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए "राजस्थान के शिक्षा मे बढ़ते कदम" कार्यक्रम चलाया गया। उक्त योजनाएं तथा कार्यक्रम इत्यादि चलाकर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक विद्यालय से जोड़े रखने व विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

8. साथ ही विभाग द्वारा प्रदेश मे बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करने के साथ–साथ उड़ान निशुल्क सेनेटरी पैड वितरण योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, कस्तूरबा सावधि योजना, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्लस फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, साइकिल वितरण योजना,, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना इत्यादि भी सचालित किया जाता है, जिससे बालिकाओं के ड्रॉपआउट रेट को कम करके उन्हे अधिक से अधिक विद्यालय से जोड़ा रखा जा सके।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एसएके) माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा.कला साहित्य,संस्कृति तथा ए.एस.आई राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक) विभाग; कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (स्वतन्त्र प्रभार); मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग (स्वतन्त्र प्रभार);राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, सतर्कता, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा विभाग